निर्णय द्व इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 138/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती मूंगी देवी पत्नी भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुरथल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

अप्रार्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 34

2. बद्री पुत्र स्व॰ श्री रामनाथ
3. ओमकार पुत्र स्व॰ श्री रामनाथ

निवासियान ग्राम रिसानी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

प्रार्थी संख्या 2 व 3 /प्रतिवादी संख्या 1 व 2

4. धापा देवी पत्नी स्व॰ श्री गोपाल
5. नन्दकिशोर पुत्र स्व॰ श्री गोपाल

निवासियान ग्राम रिसानी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

6. श्रीमती सोनी पत्नी श्री बाबूलाल पुत्री स्व॰ श्री गोपाल
7. श्रीमती कोयली पत्नी श्री सुवा लाल पुत्री स्व॰ गोपाल

निवासियान मेहता की ढाणी, ग्राम उगरियावास, पोस्ट जयसिंहपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।

8. श्रीमती सुमन पत्नी श्री विनोद पुत्री स्व॰ श्री गोपाल
9. श्रीमती शारदा पत्नी श्री राकेश पुत्री स्व॰ श्री गोपाल ,

निवासियान ग्राम नोपुरा, पोस्ट हस्तेडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।

10. बाबूलाल पुत्र स्व॰ श्री काना
11. श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी स्व॰ श्री भैरू
12. श्रवण पुत्र स्व॰ श्री भैरू
13. रिछपाल पुत्र स्व॰ श्री भैरू
14. रामसिंह उर्फ मुकेश पुत्र स्व॰ श्री भैरू

निवासियान ग्राम रिसानी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।

15. हंसा देवी पुत्री स्व॰ श्री भैरू

निवासी नला की ढाणी, ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।

16. श्रीमती भोली देवी पुत्री स्व॰ श्री काना निवासी वार्ड नम्बर 4, अहीरों की ढाणी, खादीबाग, कस्बा चौमू, जिला जयपुर ।
17. कमली देवी पुत्री स्व॰ श्री काना निवासी पाटयाली ढाणी (मठ) ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थी संख्या 4 से 17/ प्रतिवादी संख्या 9/1 से 9/6, 10 से 17

18. श्रीमती मनभरी देवी पत्नी ओकार मल पौत्रवधु स्व॰ श्री सल्ला जाति अहीर, निवासी ग्राम रिसाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

19. रामप्यारी देवी पत्नी बद्रीनारायण पौत्रवधु स्व॰ सल्ला जहाति अहीर निवासी ग्राम रिसाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
20. श्रवणीदेवी पत्नी नानूराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडाडेहरा पोस्ट धोला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थी संख्या 18 से 20/ प्रतिवादी संख्या 31/33

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्री स्व॰ श्री महादेव
2. कैलाश पुत्र स्व॰ श्री महादेव

   निवासियान ग्राम रिसाणी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
3. मंगली पुत्री स्व॰ श्री महादेव पत्नी श्री घीसाराम
4. पतासी देवी पुत्री स्व॰ श्री महादेव पत्नी श्री छीतरमल

   निवासी भोमियाजी वाली ढांणी, ग्राम गुढा सुर्जन, तहसील जालसू जिला जयपुर ।
5. केसरी पुत्री स्व॰ श्री महादेव पत्नी श्री गणेश निवासी ग्राम गुढा सर्जन, तहसील जालसू जिला जयपुर ।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 /वादीगण

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
7. जिलाधीश, बनीपार्क जयपुर।
8. कजोड पुत्र स्व॰ चोथी देवी पुत्र स्व॰ श्री नन्छूराम निवासी जैला बाबा की ढाणी, ग्राम गुवारडी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
9. मेखी देवी पुत्री स्व॰ चोथी पत्नी कालूराम निवासी नाडी की ढाणी, ग्राम देवपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
10. रूडी देवी पुत्री स्व॰ चौथी पत्नी छीतर मल निवासी नाडी की ढाणी, ग्राम देवपुरा तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
11. मनभरी देवी पुत्री स्व॰ चौथी पत्नी जगदीश निवासी बोझावाली झाणी (खोल्डया की ढाणी) ग्राम खन्नीपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
12. सूण्डाराम पुत्र स्व॰ चौर्थी पुत्र स्व॰ श्री नन्छूराम, निवासी जैला बाबा की ढाणी, ग्राम गुवारडी तहसील चौमू जिला जयपुर।
13. नन्दकिशोर पुत्र स्व॰ बरजी
14. मुकेश पुत्र स्व॰ बरजी
15. सुदामा पुत्र स्व॰ बरजी

    निवासियान ग्राम म्हार खुर्द, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
16. श्रीमती संतारा देवी पुत्री स्व॰ बरजी पत्नी सीताराम निवासी जाडल्या की ढाणी, ग्राम निन्दौला वाया खेजरोली, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
17. ममता देवी पुत्री स्व॰ बरजी पत्नी मदन लाल निवासी जाडल्या की ढाणी, ग्राम निन्दोला वाया खेजरोली, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 17/प्रतिवादी संख्या 18 से 30

18. श्रीमती गीता गुहा पत्नी स्वप्न गुहा निवासी प्लाट नम्बर ए–17, मनीष मार्ग, गांधी पथ, नेमीनगर, वैशाली नगर, जयपुर ।
19. स्वप्न गुहा पुत्र जे आर गुहा निवासी प्लाट नम्बर ए–17, मनीष मार्ग, गांधी पथ, नेमीनगर वैशाली नगर, जयपुर
20. नाहर सिंह पुत्र सूरजन सिंह
21. शेर सिंह पुत्र सुरजन सिंह

समस्त निवासी ग्राम रिसाणी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।

22. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी कैलाश निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर।
23. श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी गोपाल
24. श्रीमती मनभर देवी पत्नी कालूराम
25. श्रीमती राजू देवी पत्नी भगवान सहाय

समस्त निवासी बंध की ढणी ग्राम नींदड, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर, वर्तमान पता ग्राम रिसाणी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

26. रामचन्द्र पुत्र लादू
27. कल्याण सहाय पुत्र लादू
28. सुरेश पुत्र लादू
29. दिनेश पुत्र लादू
30. दूलाराम पुत्र लादू
31. श्रीमती भगवानी देवी पत्नी लादूराम (मृतक)

समस्त निवासी ग्राम रिसाणी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

32. बाबूलाल पुत्र स्व॰ श्री गणपत
33. रोशन चन्द्र यादव पुत्र स्व॰ श्री गणपतम

निवासियान ग्राम म्हार खुर्द, वाया सामोद, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

34. सुमित्रा देवी पत्नी श्रवणलाल यादव पुत्री स्व॰ गणपत
35. सुनिता देवी पत्नी मूलचन्द यादव पुत्री स्व॰ श्री गणपत

निवासियान नया कुआ, अरणिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला नीम का थाना ।

36. लादू पुत्र गोमा जाति अहीर
37. रामलाल पुत्र स्व॰ श्री नारायण
38. ज्ञानप्रकाश पुत्र. स्व॰ श्री नानूराम
39. गोपाल पुत्र स्व॰ श्री नानूराम
40. बाबूलाल पुत्र स्व॰ श्री नानूराम
41. गुलाब चन्द पुत्र स्व॰ श्री नानूराम
42. श्रीमती बीदामी देवी पत्नी स्व॰ श्री नानूराम
43. गोदिया उर्फ गोदाराम पुत्र नारायण

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

44. भैरूराम पुत्र स्व॰ नारायण
    निवासीयान ग्राम रिसाणी तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
45. यूको बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा जैतपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर ।
46. कार्पोरेशन बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
47. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा चौमू जिला जयपुर।
48. सिंडीकेट बैंक जरिये शखा प्रबन्धक, खोरा श्यामदास, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
49. ओ बी सी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, चौमू, जिला जयपुर ।
50. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमू, जिला जयपुर ।
51. एस बी आई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जैतपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर।
52. यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
53. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, राजावास, तहसील आमेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी संख्या 18 से 53/प्रतिवादी संख्या 35 से 70

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2020 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 1/2020 ब उनवानी भगवान सहाय बनाम बद्री व अन्य द्वितीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 62/2023 ब उनवानी भगवान सहाय बनाम बद्री, तृतीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 77/2023 ब उनवानी कैलाश बनाम मूंगी एवं प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सी पी सी ब उनवानी कैलाश बनाम मूंगी देवी को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री सुमेर सैनी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री पंकज कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 03.12.2024**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्टेंट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2020 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 1/2020 ब उनवानी भगवान सहाय बनाम बद्री व अन्य द्वितीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 62/2023 ब उनवानी भगवान सहाय बनाम बद्री, तृतीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 77/2023 ब उनवानी कैलाश बनाम मूंगी एवं प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी ब उनवानी कैलाश बनाम मूंगी देवी विचाराधीन है। जिसमें

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी संख्या एक को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नही है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रार्थी संख्या 1 के प्रति बायस्ड है, इसलिए उक्त प्रकरणों को अन्य दीगर राजस्व न्यायालय में अन्तरित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित अन्य प्रकरणों में प्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा पक्षकारों की पैरवी किये जाने के लिए न्यायालय में पहुंचे तो वहां कृपा शंकर अधीनस्थ न्यायालय के अहलमद को एक पत्रावली में दिशा निर्देश दे रहा था । जिसे देख कर प्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जब पत्रावली पर अहलमद द्वारा कार्यालय रिपोर्ट अंकित की जा रही थी, तो पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ कि न्यायालय में मन्दिर श्री ठाकुर जी जरिये नैक्सट फ्रेण्ड मोहन लाल, कन्हैयालाल व कृपा शंकर द्वारा वाद ब उनवानी मन्दिर श्री ठाकुर जी बनाम भैरूलाल वगैरह दिनांक 07.10.2024 को ही प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित खसरा नम्बर 256 को बताया गया है एवं उक्त खसरा नम्बर 256 ग्राम रिसानी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर है जिसके सन्दर्भ में प्रार्थी संख्या 1 द्वारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है । प्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के समक्ष लम्बित प्रकरण का उल्लेख उक्त वाद में नही था ना ही उक्त मोहन कन्हैयालाल व कृपा शंकर द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी के न्यायालय में लम्बित प्रकरण में स्वयं को पक्षकार बनाये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन का कोई जिक्र था। उक्त व्यक्ति न्यायालय से हाईड एण्ड सीक कर रहे थे एवं प्रार्थी संख्या के 01 के अधिवक्ता की जानकारी में उक्त तथ्य आ जाने पर प्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में बाद कार्यालय रिपोर्ट जब उक्त प्रकरण में अन्तरिम व्यादेश पर जब न्यायालय द्वारा सुना जा रहा था तो यह आपित्त दर्ज करवा दी थी कि भूमि खसरा नम्बर 256 के सन्दर्भ में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के समक्ष लम्बित है। जिसमें उक्त तीनों द्वारा पक्षकार बनाये जाने के लिये प्रस्तुत आवेदन को उक्त न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा रास्ते को रोकने व उसमें बाधा कारित करने के उद्देश्य से वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। उक्त कथनों को सुन कर न्यायालय में पीठासीन अधिकारी ने यह तर्क करा कि उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी को

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मामलों को सुनने का क्षेत्रधिकार नहीं है तथा यह भी कहा कि उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी के न्यायालय में मामला लम्बित होना मेरी शक्तियों को कम नहीं करता है । यह भी कहा कि मामले में आपका केवियट प्रार्थना पत्र नहीं है इसलिये आपको सुनने की आवश्यकता नही है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी के उक्त शब्दों को सुन कर प्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य स्पष्ट किया गया कि केवियट प्रार्थना पत्र में मामले की पूर्व सूचना दिया जाना है एवं प्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता को जब इस तथ्य का ज्ञान हो गया है कि मामले में न्यायालय के समक्ष प्रकरण संस्थित हुआ है तो वे अपने पक्षकार की ओर से भाग लेने के लिए सहमत है, परन्तु पीठासीन अधिकारी प्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता के निवेदन को सीरे से इन्कार कर अपनी हठधर्मिता में मामले की प्रकिया को आगे बढाया एवं मामले के तथ्यों से पीठासीन अधिकारी को अवगत करवाने के बावजूद एवं प्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता की ओर से उपखण्ड अधिकारी से निवेदन किये जाने के बावजूद मामले में एक पक्षीय रूप से व्यादेश जारी किये जाने की आदेशिका दिनांक 07.10.2024 पत्रावली में अभिलिखत कर दी। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी प्रार्थी संख्या 1 के प्रति बायस्ड है तथा शेष प्रार्थीगण भी मामले में पक्षकार है जो भी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के आचरण से अछूते नही है। इसलिए उक्त प्रकरणों को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरण किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थीगण येनकेन प्रकारेण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहते है, इस कारण प्रार्थीगण ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थी संख्या 01 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 77/2023 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 06.11.2024 को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उभय पक्ष को सुन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की कम संख्या 7 पर न्यायालय हाजा के पीठासीन अधिकारी को जिलाधीश के नाम से पक्षकार बना रखा है। जिस पीठासीन अधिकारी को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया हो, उसी पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी मूंगी देवी बनाम कैलाश में पारित आदेश दिनांक 6.11.2024 से उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को उभय पक्ष को सुन कर

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों को अन्य न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर